

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-13/2018

२५५७

/कृ० पटना, दिनांक ०३-५-२०१८

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स पैट्रु एग््री बायोटेक प्रा०लि० (हैदराबाद)  
रामा सदन, देवी स्थान रोड, जाकरियापुर,  
जीरो मार्ग, पटना

विषय :

बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।


महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं मंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 36/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 02/05/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रमेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

  
26/4/18  
(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :-

२५५७

/कृ०, पटना, दिनांक ०३-५-२०१८

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि रसातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनाार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

  
26/4/18  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स पैटर एग्री बायोटेक प्रा० लि० द्वारा बिहार राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 2447

दिनांक: 03/05/2018

## LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	PATURU-1025, PATURU-1015, PS-317, PS-507, MANALI- 777, PRANALI-77, OM SAI, RPN (PATURU), PATURU-3434, PATURU-4444, SRI LAXMI, SONALI-07, SRI RAM-9, CHATRAPATI, DEVASENA, ANJALI, MENAKA, PS AMAN, PS DAMINI, PATURU-2511 (BASMATI), PATURU-1509 (BASMATI), PATURU-1121 (BASMATI)
2	MAIZE	PS-6699, PS-7788, PS-3399, PS-3349, PS-9908, PS-9981, PS-6678, PMH-3070, SINDHU-333, SINDHU-333 GOLD,
3	BAJRA	MEGHANA-666, TEJA-777, JAMUNA
4	TOWAR	NAANI-666, CHINNI-14
5	SUNFLOWER	SURYA TEJ- 324, SURYA-313
6	MUSTERED	RUCHI, VARSHI
7	WHEAT	SHAKTHI, AMRUTHA
8	SSG	KEERTI, GANGA
VEGETABLE SEEDS		
1	CHILI	ANJALI, AISHWARYA, INDU, MENAKA, MALINI, KOMALA
2	TOMATO	ABHIRUCHI, MADHURI, YAMINI
3	OKRA	URVASI, SHALINI, APOORVA, VAISHALI,
4	CORIANDER	VARSHI
5	PALAK	DIVYA
6	BITTER GOURD	KHUSHI, SANJANA, SHRUTHI, PREETI, KEERTI, LASYA
7	BRINJAL	VASUNDARA, SRAVANTHI, MADHUMITHA
8	CLUSTER BEANS	NEELIMA

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*(Handwritten Signature)*  
26-4-18

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS



License No. 36/2018 Date 02/05/2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स पैट्टु एग्री बायोटेक प्रांलि० (हैदराबाद) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at रामा सदन, देवी स्थान रोड, जाकरियापुर, जीरो माईल, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स पैट्टु एग्री बायोटेक प्रांलि० (हैदराबाद) नियर आलोक पेट्रोल पंप पटना।	मेसर्स पैट्टु एग्री बायोटेक प्रांलि० (हैदराबाद) रामा सदन, देवी स्थान रोड, जाकरियापुर, जीरो माईल, पटना
पूरब - खाली जमीन	पूरब - श्री शशी भूषण सिंह
पश्चिम - खाली जमीन	पश्चिम - देवी स्थान रोड
दक्षिण - आटा मील	दक्षिण - सोसाईटी रोड, खाली प्लॉट
उत्तर - न्यू बाईपास रोड (नेशनल हाईवे पटना बख्तियारपुर) के रोड (पेट्रोल पंप से पूरब फरलान)	उत्तर - प्लॉट नं०- 33, श्री पताली साह, खाली प्लॉट

Date: 02/05/2018

Seal: 05/3401 क्रम/पटना 12/2018 - 2447

*Handwritten signature*  
26.4.18

Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 02/05/2021 (2nd may 2021) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*